प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः- 14.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल

पीआरवी 1254 कर्मियों द्वारा मात्र 08 मिनट में पहुँचकर जहरीला पदार्थ खाये युवक की बचाई जान

दिनाँक 13.07.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल नेतृत्व में जनपद में संचालित **@112** द्वारा लगातार सहरानीय कार्य/लोगो की जान बचाई जा रही है। इसी क्रम में **पीआरवी 1254** थाना कोतवाली महोबा को दिनाँक 13/07/2021 को समय 22:17 बजे डाक बंगला के पीछे कल्याण सागर महोबा से कॉलर श्रीचंद्र अहिरवार द्वारा सूचना मिली कि उनके लड़के ने जहरीला पदार्थ खा लिया है।

इस सूचना पर पीआरवी 1254 द्वारा मात्र 08 मिनट में घटना स्थल पर पहुंची, पता चला कि कालर के पुत्र विनीत उम्र करीब 22 वर्ष द्वारा घर में आपसी कहा-सुनी में जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसके मुँह से झाग निकल रहा है, हालत नाजुक है। पीआरवी कर्मियों ने बिना किसी देरी के तत्काल उसे पीआरवी द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाया, समय पर इलाज मिलने पर उसकी जान बचाई जा सकी।

पीआरवी 1254 स्टाफ-

कमांडर - HC अनिल सिंह चौहान
सब कमांडर - का0 मुख्तार अहमद
पायलट - एचजी इनायत अली

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः- 14.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल

थाना कबरई पुलिस ने वाँछित अभियुक्त को तमंचा/कारतूस सहित किया गिरफ्तार

आज दिनाँक 14.07.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे वाँछित/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत थानाध्यक्ष कबरई दिनेश सिंह के द्वारा गठित टीम ने थाना हाजा पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 70/21 धारा 401/120बी भादवि व मु0अ0सं0 210/21 धारा 323/504/506/452 भादवि व 3(1)द,ध, 3(2)5क SC/ST Act** में वांछित अभियुक्त रामकरन उर्फ छोटभइया उर्फ कबरा पुत्र कल्लू कुशवाहा निवासी ग्राम लिलवाही थाना कबरई जनपद महोबा को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की जामा तलाशी से **01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद** हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर **मु0अ0सं0 211/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत** कर अभियुक्त उपरोक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

रामकरन उर्फ छोटभइया उर्फ कबरा पुत्र कल्लू कुशवाहा निवासी ग्राम लिलवाही थाना कबरई जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह तोमर
2. कां0 ज्ञानेन्द्र कुमार
3. रि0आ0 शुभम जायसवाल

“मिशन शक्ति/एण्टी रोमियो टीम” द्वारा शहर में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को उनके अधिकारो के प्रति किया जागरुक

आज दिनाँक 14.07.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद स्तर पर संचालित **“मिशन शक्ति टीम”** निरीक्षक रचना सिंह, हे0का0 विनोद कुमार द्विवेदी, महिला का0 रीता सिंह, का0 राहुल यादव, का0 सोनू यादव एवं **“एण्टी रोमियो टीम”** उ0नि0 शिल्पी शुक्ला, महिला का0 प्रतिमा सिंह, लक्ष्मी यादव के द्वारा शहर के मुख्य बाजार, बस-स्टैण्ड, मन्दिर, रामकथा मार्ग आदि स्थलों पर जाकर वहाँ उपस्थित बालिकाओं/महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया एवं हेल्पलाइन नम्बरों- 112, 181, 1090, 1076 की जानकारी दी गई, शिकायतों के अन्य माध्यमों में अपने नजदीकी पुलिस थाने को सूचना दें या फिर महोबा पुलिस के ट्वीटर हैंडल **@mahobapolice** का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही उन्हे साइबर अपराध एवं महिला कानूनों की भी जानकारी दी गई।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः- 14.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल

क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस द्वारा पैदल गस्त करके की संदिग्धों की चेकिंग व लोगो को यातायात, कोविड-19 संक्रमण के प्रति किया जागरुक

आज दिनाँक 14.07.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के नेतृत्व में थाना कोतवाली महोबा पुलिस बल के साथ शहर के आल्हा चौक, बस-स्टैण्ड, परमानन्द तिराहा आदि जगहों पर पैदल गस्त करके संदिग्धों की चेकिंग की गई तथा लोगो को **कोविड-19 संक्रमण के प्रति जागरुक करते हुए उन्हे मास्क का प्रयोग करने, 02 गज की दूरी बनाये रखने व कोविड-19 नियमों का पालन करने की अपील की गई ।** जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, ढाबा आदि जगहो पर पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई ।

जनपद में यातायात नियमो के उल्लंघन पर **14 ई-चालान** व **कोविड-19** नियमो के उल्लंघन पर **19 व्यक्तियों से 3200/-रू0 शुल्क वसूला गया ।**